

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/1185/

जबलपुर, दिनांक 13/03/20

श्री अशोक कुमार बाल्मीक, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को रजिस्ट्री नोटिस क्रमांक ए/3482 दिनांक 23.11.2019 में दिये गये निर्देशों की अवहेलना करते हुए निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के कारण दिनांक 18.10.2019 एक दिन अवकाश का उपभोग करने के कारण उक्त दिनांक का अवैतनिक स्वीकृत किया जाता है।

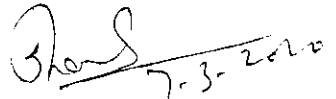
सही / -
(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक C/1186/

जबलपुर, दिनांक 13/03/20

प्रतिलिपि :-

1. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. सहायक सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल/वेतन पत्रक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री अशोक कुमार बाल्मीक, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(किशोर पिठवे)
ज्वाइंट रजिस्ट्रार (एम) (पी)
A